राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 56 /2021

1. सूरज कौर पुत्री भूरा
2. सीता पुत्री भूरा
3. शकुन्तला पुत्री भूरा
4. लीलो देवी पत्नि प्रभुदयाल

   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी वार्ड नं. 15, नया नगर, नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 20–07–2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 7, 32, 33 व 34 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मेवा पुत्र भूरा के स्थान पर सूरज कौर पुत्री भूरा, प्रार्थीया संख्या 2 का नाम लीला पुत्र भूरा के स्थान पर सीता पुत्री भूरा, प्रार्थीरूा संख्या 3 का नाम सविता पुत्र भूरा के स्थान पर शकुन्तला पुत्री भूरा व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम प्रभु पुत्र भूरा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र भुरा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 7, 32, 33 व 34 ग्राम नयानगर पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 7, 32, 33 व 34 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मेवा पुत्र भूरा के स्थान पर सूरज कौर पुत्री भूरा, प्रार्थीया संख्या 2 का नाम लीला पुत्र भूरा के स्थान पर सीता पुत्री भूरा, प्रार्थीरूा संख्या 3 का नाम सविता पुत्र भूरा के स्थान पर शकुन्तला पुत्री भूरा व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम प्रभु पुत्र भूरा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र भुरादुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 7, 32, 33 व 34 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मेवा पुत्र भूरा के स्थान पर सूरज कौर पुत्री भूरा, प्रार्थीया संख्या 2 का नाम लीला पुत्र भूरा के स्थान पर सीता पुत्री भूरा, प्रार्थीरू संख्या 3 का नाम सविता पुत्र भूरा के स्थान पर शकुन्तला पुत्री भूरा व प्रार्थी संख्या 4 के पति का नाम प्रभु पुत्र भूरा के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र भुरा दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20—07—2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)